

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:- 42/अ-59/2017-18/

13850

बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ीसॉवलीगढ़ जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, ग्राम खेड़ीसॉवलीगढ़ में निवासरत् आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टे प्रदान करने के लिए मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ पटवारी हल्का नंबर 25 रा0 नि0 मं0 खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील व जिला बैतूल स्थित खसरा नंबर 5/1 रकबा 5.318 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव तहसीलदार बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 5/1 रकबा 5.318 हेक्टेयर मद चरनोई की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 20-9-2017 को आयोजित ग्राम पंचायत खेड़ीसॉवलीगढ़ की बैठक में मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 5/1 रकबा 5.318 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 5/1 रकबा 5.318 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ स्थित खसरा नंबर 05 रकबा 6.329 हेक्टेयर भूमि घॉस मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में अंकित नायब तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ का मकबूजा रकबा 589.153 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 67.026 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 11.783 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से अधिक है।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) / अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 5/1 रकबा 5.318 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.800 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, वीड या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा



समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ प. ह. नं. 25 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 5/1 रकबा 5.318 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.800 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूल/रुद्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 42/अ-59/2017-18/ 1380
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 7/02/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 2- नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत खेड़ीसॉवलीगढ़ जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

अपर / 17/2/18

6/2/18